एकात्म भारत के लिए
सुचेन्द्र मिश्रा द्वारा प्रकाशित

एकात्म भारत

@EkatmaBharat
दैनिक एकात्म भारत

कार्तिक कृष्ण पक्ष, प्रथमा
बुधवार विक्रम संवत् 2076

जो एकात्म है वही भारत है

13 नवंबर 2019, इंदौर

e-paper : www.ekatmabharat.com

पटना का महावीर ट्रस्ट देगा राम मंदिर के लिए 10 करोड़

पटना

पटना के महावीर सेवा ट्रस्ट की ओर से प्रस्तावित शासकीय न्यास को दस करोड़ रुपये दिए जाने का एलान किया गया है। यह जानकारी ट्रस्ट के अध्यक्ष पूर्व आइपीएस अधिकारी आचार्य किशोर कुणाल ने दी। उन्होंने बताया कि मंदिर निर्माण अगले पांच वर्ष में पूरा होने की संभावना है। इस बीच ट्रस्ट मंदिर निर्माण के लिए प्रत्येक वर्ष दो करोड़ रुपये देगा। कुणाल ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि मंदिर निर्माण जल्दी पूर्ण होता है तो महावीर ट्रस्ट घोषित दस करोड़ रुपये की सालाना किस्त बढ़ा देगा।

उन्होंने रामलला का दर्शन के लिए आने वाले बाहरी श्रद्धालु के लिए राम रसोई संचालित करने की तैयारी भी कर रखी है। इसकी शुरुआत वह राम नगरी में राम जन्मभूमि परिसर से ही लगे अमावा राम मंदिर में एक दिसम्बर से करेंगे। इसके लिए 5000 वर्ग फीट का परिसर बनाया गया है, जो अयोध्या में स्थिति सामान्य होते ही काम शुरू कर देगा। अमांवा मंदिर में शुक्रवार को भगवान राम के बालस्वरूप की प्रतिमा स्थापित कर दी की गई। जिसके बाद शनिवार को फैसला आया। आचार्य किशोर कुणाल ने कहा कि अयोध्या में भगवान श्रीराम का भव्य मंदिर बने, यह सभी की इच्छा है। हम सब इस सपने को साकार करने के लिए प्रयत्नशील हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अब मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। मेरी कोशिश होगी की मंदिर निर्माण में हरसंभव मदद करूं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आचार्य किशोर कुणाल ने कहा कि उसने तमाम प्रमाणों के आधार पर रामलला के विराजमान होने का जो ऐतिहासिक फैसला दिया है, उसका सभी को स्वागत करना चाहिए।

अधिग्रहित भूमि में से जमीन मांग अयोध्या मामले को फिर उलझाने की कोशिश

मुस्लिम पक्ष ने रखी 1991 में केन्द्र सरकार द्वारा अधिग्रहित 67 एकड़ भूमि में से जमीन की मांग

अयोध्या

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने के बाद अयोध्या में श्री राम मंदिर का मामला सुलझ गया है। लेकिन मामले के पक्षकार और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 1991 में केन्द्र सरकार द्वारा अधिग्रहित 67 एकड़ भूमि में से मस्जिद के लिए जमीन मांग कर एक नया पेंच फंसा दिया है। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ वैकल्पिक भूमि देने की बात कही है उसमें इस 67 एकड़ भूमि में पांच एकड़ भूमि दिए जाने की बात नहीं है। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि मुस्लिम पक्षकार जब पुर्नविचार याचिका लगाएंगे तो उसमें वे इस 67 एकड़ भूमि में से पांच एकड़ भूमि मस्जिद के लिए दिए जाने की मांग करेंगे।

वास्तविकता यह है कि इस 67 एकड़ भूमि के आसपास कोई भी मुस्लिम परिवार नहीं रहता है ऐसे में सुन्नी वक्फ बोर्ड वहां पर मस्जिद किसके लिए बनाना चाहता है। इसे देखते हुए यह माना जा रहा है कि यह केवल राम मंदिर निर्माण को अटकाने के प्रयास भर हैं।

विवादित रहे 2.77 एकड़ भूमि को छोड़कर आसपास अन्य स्थान पर मस्जिद के लिए भूमि दिए जाने का प्रस्ताव वीपी सिंह के प्रधानमंत्री रहते समय भी आया था लेकिन उस समय भी विश्व हिन्दू परिषद ने इस तरह के किसी भी प्रस्ताव के स्वीकार करने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया था।

अयोध्या मामले में प्रमुख मुद्दई रहे इकबाल अंसारी तथा कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने केंद्र सरकार से वर्ष 1991 में अधिग्रहीत की गई भूमि में से मस्जिद के लिए जमीन देन की मांग की है। विवादित ढांचे के आसपास की 67 एकड़ जमीन 1991 में केंद्र सरकार ने अधिग्रहित कर ली थी। अंसारी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार अगर सरकार हमें जमीन देना चाहती है तो वह उसी 67 एकड़ हिस्से में से होनी चाहिए जिसे केंद्र ने अधिग्रहित किया था। हम तभी इसे स्वीकार करेंगे। नहीं तो हम जमीन लेने से इंकार कर देंगे। मौलाना जमाल अशरफ नामक स्थानीय धर्मगुरु ने कहा कि मुसलमान मस्जिद बनाने के लिए अपने पैसे से जमीन खरीद सकते हैं और वे इसके लिए केंद्र सरकार पर निर्भर नहीं हैं। सरकार अगर हमें कुछ तसल्ली देना चाहती है तो उसे 1991 में अधिग्रहित की गई 67 एकड़ भूमि में से ही कोई जमीन देनी चाहिए। उस जमीन पर कई कब्रिस्तान और सूफी संत काजी किदवा समेत कई दरगाहे हैं। मामले के एक अन्य मुद्दई हाजी महबूब ने कहा कि हम झुनझुना स्वीकार नहीं करेंगे। सरकार को साफ तौर पर बताना होगा कि वह हमें कहां जमीन देने जा रही है। जमीअत उलमा ए हिंद की अयोध्या इकाई के अध्यक्ष मौलाना बादशाह खान ने कहा कि मुसलमान बाबरी मस्जिद का मुकदमा लड़ रहे थे ना कि किसी जमीन का. हमें मस्जिद के बदले कहीं कोई जमीन नहीं चाहिए, बल्कि हम उस जमीन को भी राम मंदिर निर्माण के लिए दे देंगे। इस बीच, सूत्रों ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मस्जिद का निर्माण के लिए अयोध्या के अंदर और उसके आसपास जमीन तलाशने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एक अधिकारी ने पर बताया कि हमसे किसी प्रमुख और आकर्षक स्थान पर मस्जिद के निर्माण के लिए जमीन तलाशने को कहा गया है। हालांकि अयोध्या मामले के प्रमुख पक्षकार सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश ने जमीन लेने या ना लेने के संबंध में आगामी 26 नवंबर को होने वाली अपनी बैठक में निर्णय लेने की बात कही है।

गृहमंत्री बूटा सिंह से अशोक जी को बताया कि अयोध्या में हिन्दू जमीन का हक मांगे

गांधी नेहरू परिवार और अशोक जी सिंघल का परिवार प्रयाग में पड़ोसी थे। इसके चलते ही राजीव गांधी ने खुलवाया था अयोध्या का ताला

प्रयाग

राम जन्मभूमि मामले में एक और किस्सा है कि जब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ताला खुलवाकर अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के राम मंदिर आंदोलन को आधार दिया, तो तत्कालीन गृह मंत्री सरदार बूटा सिंह ने शीला दीक्षित के जरिए अशोक जी सिंघल को यह संदेश भेजा कि हिन्दूओं के पक्ष में जितने भी मामले न्यायालय में चल रहे हैं उनमें केवल पूजा का अधिकार मांगा गया है। भूमि का अधिकार किसी ने भी नहीं मांगा है। इसके बाद ही इस मामले की दिशा बदली है।

किस्सा यह था कि 1950 में गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद के सिविल जज के सामने राम जन्मभूमि में पूजा की अनुमति मांगी थी। 1961 में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने विवादित क्षेत्र का मालिकाना हक मस्जिद के पक्ष में मांगा था। इससे पहले निर्मोही अखाड़े ने 1959 में मंदिर का प्रबंधन अपने हाथ में लेने को लेकर केस दाखिल किया था। यानी हिंदू पक्ष की ओर से जो भी केस दायर हुआ था, उसमें कहीं भी जमीन के मालिकाना हक की मांग नहीं थी, बल्कि सिर्फ पूजा-पाठ और प्रबंधन को लेकर केस दाखिल हुए थे। जब राम मंदिर का आंदोलन तेजी पकड़ने लगा और राजीव गांधी ने ताला खुलवाया, तब सरकार के गृह मंत्री बूटा सिंह ने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता दिवंगत शीला दीक्षित के जरिए विहिप के अशोक सिंघल को संदेश भेजा था कि हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल किसी केस में जमीन का मालिकाना हक नहीं मांगा गया है और ऐसे में हिन्दू पक्ष केस हार सकता है।

इसके अलावा इस मामले की एक विशेष बात और है कि इलाहाबाद (अब प्रयागराज) में नेहरू परिवार और अशोक सिंघल के परिवार का घर आमने-सामने था और दोनों परिवारों में बेहद घनिष्ठता थी। इसी घनिष्ठता की वहज से राजीव ने परोक्ष रूप से जन्मभूमि का ताला खुलवाने में सहयोग किया। विहिप के उपाध्यक्ष और मंदिर आंदोलन को बेहद करीब से जानने वाले चंपत राय का कहना है कि शीला दीक्षित ही राजीव गांधी और अशोक सिंघल के बीच सेतु का काम कर रहीं थी। यहीं से तीसरी अहम याचिका दाखिल करने की पटकथा शुरू हुई। बूटा सिंह की सलाह काम कर गई और आंदोलन से जुड़े नेता देवकीनंदन अग्रवाल और कुछ लोगों को पटना भेजा गया। यहां कानून के जानकार लाल नारायण सिन्हा और 5-6 लोग जमा हुए और तीसरे मुकदमे की पटकथा बनी। इसमें रामलला विराजमान और स्थान श्री रामजन्मभूमि को कानूनी अस्तित्व देने की मांग की गई।